

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

- 1 कालू पिता गोकल अहीर उम्र-वयस्क निवासी तखतपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

- 1 नारायण पिता उदा अहीर उम्र-वयस्क निवासी देवनारायण मोहल्ला, तखतपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
2 शाखा प्रबन्धक, आइ.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)
की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :- श्री सुरेश चन्द्र अहीर----- प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
श्री प्रवीण कुमार चौरडिया ----अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय

दिनांक 19-09-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 18.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा तखतपुरा पटवार मण्डल क्षेत्र तखतपुरा तहसील हमीरगढ स्थित खसरा संख्या 338, 339 प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षों से अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरे में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 318 की मेड के सहारे सहारे 20



उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व के खसरान संख्या 318 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 19.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 01 स्वयं द्वारा द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षों से अप्रार्थी के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षों से करता चला आ रहा है। प्रार्थी शुरूआत से ही उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से होकर अपनी आराजी में प्रवेश करता आ रहा है। जवाबदाता के खसरे में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नहीं है। शुरूवात से ही प्रार्थी की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थी का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा तख्तपुरा पटवार मण्डल क्षेत्र तख्तपुरा तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 318 रकबा 0.1770 में से 0.0140 हैक्टर (28 मीटर बाई 5 मीटर/140 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।



उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)


पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि—

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :- प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। विपक्षी ने जवाब में दिये गये हवाले के मुताबिक प्रार्थी का शुरूआत से ही वैकल्पिक मार्ग में से होकर अपने खसरे में आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित नहीं किया है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भूअ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौड़ाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा तख्तपुरा पटवार मण्डल क्षेत्र तख्तपुरा तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 318 रकबा 0.1770 में से 0.0140 हैक्टर (28 मीटर बाई 5 मीटर/140 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।




उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)


-: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा तख्तपुरा पटवार मण्डल क्षेत्र तख्तपुरा तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 318 रकबा 0.1770 में से 0.0140 हैक्टेयर (28 मीटर बाई 5 मीटर/140 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0140 हैक्टेयर (140 वर्गमीटर) की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 318 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)